राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

क्रमांकः–प.10(746)परि/स.सु./स. दु.तथ्यात्मक रिपोर्ट/2017/6936 जयपुर, दिनांकः–4.4.18

कार्यालय आदेश 09/2018

विषय :–कार्यालय आदेश 16/2015 की पालनार्थ एवं वाहन फिटनेस के लिये निरीक्षण करने वाले निरीक्षक द्वारा निरीक्षण पत्र (R.S.4.8 Part iv) पर पृथक से टिप्पणी के सम्बन्ध में ।

पूर्व में कार्यालय आदेश 16/2015 दिनांक 29.05.2015 को जारी किया गया था, जो कि वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप, अंडर रन प्रोटेक्शन डिवाइस व एक्सेल हटा दिया जाने की अनियमितता रोकने के सम्बन्ध में था। जाँच में यह पाया गया है कि फिटनेस हेतु निरीक्षण कर्ता अधिकारियों के द्वारा तथा फिल्ड में चेकिंग अधिकारियों के द्वारा इस आदेश की पालना नहीं की जा रही है।

यह पाया गया है कि आगे जा रहे वाहन के पिछले हिस्से (Back Surface) पर रिफ्लेकटर लगे हुए हो तो यह पीछे की ओर से आने वाले वाहन को नजर आयेगें तथा पीछे से टकराने की घटनाओं पर रोक लगेगी।

इसी प्रकार ट्रक/डंपर/ट्रेलर आदि में वाहन के पीछे की ओर अंडर रन प्रोटेक्शन डिवाइस होना सर्वाधिक जरूरी है। रियर अंडर रन प्रोटेक्शन डिवाइस के अभाव में ट्रक/डंपर/ट्रेलर आदि के पीछे से आने वाले वाली कारें व दुपहिया वाहन इनके अन्दर घुस जाते है एवं गम्भीर रूप से दुर्घटना ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी कई दुर्घटनाएं होना पाया गया है। यदि रियर अंडर रन प्रोटेक्शन डिवाइस लगी हो तो वाहन उपरोक्त भार वाहनों के पीछे लगी हुई अंडर रन प्रोटेक्शन डिवाइस से टकराकर बच सकेगें तथा दुर्घटना यदि हुई तो भी यह खतरनाक नहीं होगी। अतः इन भार वाहनों पर रियर अंडर रन प्रोटेक्शन डिवाइस लगी होना सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से परम आवश्यक है। इन रियर अंडर रन प्रोटेक्शन डिवाइस पर पीले और सफेद रंग की जेब्रा स्ट्रिप्स बनी होगी तथा वाहन के रिक्त (Unladen) होने की स्थिति में डिवाइस की निचली सतह व जमीन के मध्य अधिकतम 55 सेन्टीमीटर का गेप होगा।

इसी प्रकार भार वाहनों (मल्टी एक्सेल ट्रक/डंपर/ट्रेलर) में भी एक्सेल हटा लेने से वाहन की भार वहन क्षमता पंजीयन पुस्तिका के अनुसार नहीं रह कर कम हो जाती है। अतः इन वाहनों में एक्सेल व टायर पंजीयन पुस्तिका के अनुसार लगे हुए होने चाहिए।

अतः आदेश 16/2015 की निरन्तरता में निर्देश दिये जाते है कि भार वाहन (ट्रक/डंपर/ट्रेलर) की फिटनेस जारी करते समय आवश्यक रूप से फिटनेस निरीक्षण कर्ता अधिकारी (निरीक्षक/उप निरीक्षक) निरीक्षण फार्म पर निम्न टिप्पणी दर्ज करेगें :–

Scanned by CamScanner

टिप्पणी

"प्रमाणित किया जाता है कि ट्रक/डंपर/ट्रेलर के पीछे नियमानुसार रियर अंडर रन प्रोटेक्शन डिवाइस लगी हुई है, नियमानुसार एक्सेल व टायर फिट किये हुए है, तथा वाहन के पीछे निर्धारित मानक (Standard) का रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगा हुआ है।"

जिला परिवहन अधिकारी फिटनेस प्रमाण पत्र (प्रारूप 38) जारी करते समय जॉच करेगें कि उक्त टिप्पणी निरीक्षण रिपोर्ट पर विधिवत अंकित है या नहीं। साथ ही जिला परिवहन अधिकारी आकस्मिक जॉच द्वारा यह सुनिश्चित करेगें कि उक्त टिप्पणी की पालना पूरी तरह नियमानुसार करके ही टिप्पणी दर्ज की गई है। यदि निरीक्षक द्वारा शिथिलता बरतना पाया जावे तो तुरन्त अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावें।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अपने रीजन में इस आदेश की पालना सुनिश्चित करवायेगें तथा प्रतिमाह अपने अधीनस्थ जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय से जारी कुछ फिटनेस प्रमाण पत्रों का वाहनों से भौतिक सत्यापंन करेगें तथा प्रतिमाह इस आदेश की पालना हो रही है, इस तथ्य की पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करेगें। उपरोक्त क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु मुख्यालय से विशिष्ट जांच दल गठित किए जाकर समय-समय पर आकस्मिक जांच कराई जाएगी। इन जांच दलों द्वारा किसी वाहन में ऊपर वर्णित निर्देशों की पालना का अभाव पाया जाता है तो उत्तरदायी दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध मुख्यालय स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

क्रमांकः-प.10(746)परि/स.सु./स. दु.तथ्यात्मक रिपोर्ट/2017/6937-6940 जयपुर, दिनांकः- 4

प्रतिलिपि :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण परिवहन मुख्यालय।
3. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी
4. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपडेट करने हेतु।

उप परिवहन आयुक्त (स.सु)

Scanned by CamScanner